ग्राम पंचायत बाघणी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176057 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बाघणी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री अमित कुमार	01.04.2024 से 06.09.2024
2	श्री तिलक राज	06.09.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्री ओंकार दत्त	01.04.2024 से 06.09.2024
2.	श्री अजय कुमार	06.09.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•सं•	नाम	अवधि
1	श्रीमति आशा देवी	01.04.2024 से 07.09.2024
2	श्री संदीप कुमार	07.09.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

ग्राम पंचायत बाघणी के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	1.99
2	4.2	स्कीमवाईज व समेकित/संयुक्त ऑनलाईन रोकड़ बही के अथशेषों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	10.66
3	4.3	अनुचित/असमर्थित/समायोजित आय–व्यय प्रविष्टियां करने बारे	1.82
4	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	41.87
5	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
6	7.2	स्वच्छता शुल्क वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.20
7	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.53
8	9.2	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	0.97
9	9.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	0.65

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/205 दिनांक–29.03.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 1 पैरें की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 18 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के

शेष 18 पैरों के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2016 से 31/03/2017 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	13	अनिर्णीत	–

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	
2.	4क,ख	स्वतः निर्णीत	वित्तीय स्थिति
3	4.1	अनिर्णीत	–
4	4.2	अनिर्णीत	–
5	4.3,4.4	अनिर्णीत	–
6	4.5	अनिर्णीत	–
7	5	अनिर्णीत	–
8	6.1 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	–
9	6.1, 6.2	अनिर्णीत	–
10	7	अनिर्णीत	–
11	8	अनिर्णीत	–
12	9	अनिर्णीत	–
11	10	अनिर्णीत	–
12	11	अनिर्णीत	–
13	11.1	अनिर्णीत	–
14	12	अनिर्णीत	–

15	13	अनिर्णीत	—
16	14	अनिर्णीत	—
17	15	अनिर्णीत	—

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बाघणी के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.05.2025 से 04.06.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	12/2024	11/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/378 दिनांक— 04.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक योल कैम्प के मल्टीसिटी चैक संख्या 612958 दिनांक 05.06.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/361 दिनांकः—30.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5)(₹)
1	2	3	4	5	6
2024-25	545418	345887.00	891305.00	131696.00	759609.00

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2024-25	4768331.31	7160653.55	11928984.86	7741901.55	4187083.31

कुल योग (1+2) 759609.00+4187083.31 =**4946692.31**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹49,46,692.31 तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹51,45,365.54 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वः स्रोत	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	20121009803	873908
2	पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50074544691	1045030
3	वी.के.वी.एन.वाई	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056449787	397933
4	एस.डी.पी / वी.एम.जे.एस.वाई	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056449801	283876.43
5	एस .डी.आर.एफ/	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056449776	148391.24

	एम.पी.लेड			
6	एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50078125020	40000
7	एन.आर.एच.एम	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056447021	6114
8	एस.बी.एम गारवेज	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50075027819	251953
9	स्वः स्रोत	पी.एन.बैंक सिद्धपुर	4749000100027097	178436
10	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	पी.एन.बैंक योलकेंट	671000100062269	1919266.87
11	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2025 को (स्व: स्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			457
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः–				₹5145365.54
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹4946692.31
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः–				₹5145365.54
अन्तरः–				198673.23

नोटः–अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹1.99 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बाघणी द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1,98,673.23 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। उपरोक्त आपति को अंकेक्षण विभाग द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के पैरा संख्या 4.2 के तहत भी उठाया गया, परन्तु पंचायत द्वारा इस एवज में कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई अमल में नही लाई गई।

दोहराई गई इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/363 दिनांकः–31.05.2025 द्वारा

सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 15/2025 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि का अंतर पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.2 स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड बहियों तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अथशेषो में ₹10.66/—लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव लेन—देन की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले लेखें तथा विवरणियां सही—सही तथा शीघ्रता से उपलब्ध करवाएगा।

ऑनलाईल रोकड़ बहियों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **"परिशिष्ट—6"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अथशेषों में दिनांक 01.04.2024 को राशि ₹1066119.23 का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का ऑनलाईन माध्यम से मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं, बल्कि आपतिजनक है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/362 दिनांकः—31.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15/2025 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, उक्त राशि का अंतर पाया गया, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरान्त अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वर्णित अनियमितता का कारणों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए तदानुसार इसका समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाईन माध्यम से रोकड़ बहियों का रख—रखाव उचित तरीके से किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.3 राशि ₹1.82 लाख की अनुचित/असमर्थित/समायोजित (Adjustment voucher) आय–व्यय की प्रविष्टियां करने बारे :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बज़ट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत की स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियो के अंकेक्षण पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹182022/–की समायोजित प्रविष्टियां (Adjustment voucher) आय–व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी, जिसके समर्थन में कोई बिल/वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही यह प्रविष्टियां संबंधित शीर्ष की बैंक पासबुक में पाई गई, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है व आपतिजनक है:–

क्र. सं.	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	5वां वित	पी/05/25.04.2024	व्यय	Double income entry correction dated 04.04.24	2	29600
2	5वां वित	आर/07/01.05.2024	आय	Wrong payment entry correction dated 25.04.24	2	29600
3	एस.बी.एम	आर/02/04.04.2024	आय	Waste management fee received	1	29600
4	एस.बी.एम	पी/04/25.04.2024	व्यय	Double income entry dated 04.04.2024 Correction	2	29600
5	एस.डी.आर.एफ	आर/09/31.12.2024	आय	Amount adjust	15	27690
6	एस.डी.पी	आर/5/31.08.2024	आय	Interest Received	7	1920
7	एस.डी.पी	पी/09/70.09.2024	व्यय	Wrong Interest entry correction	10	1920

8	आई.ए.वाई	पी/01/1.11. 2024	व्यय	Amount Adjust	निल	32092
					कुल योग	182022

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/368 दिनांकः—02.06.2025 के अंतर्गत सचिव, ग्राम पंचायत बाघणी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15/2025 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, उक्त राशि की समायोजित प्रविष्टियां की गई है, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरान्त व विभाग के उच्चाधिकारियों से चर्चा करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित एवं नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण व समर्थित अभिलेखों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति/पुष्टि से नियमित करवाया जाये व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि, इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹6,60,001 से ₹8,73,908 तक की राशि शेष थी, जो पंचायत के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/379 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या— 15/2025 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹41.87 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/361 दिनांकः–30.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹41,87,083.31/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित्त	31.03.2025	1047414.77
2	बी.के.बी.एन.वाई	31.03.2025	394230.00
3	एस.डी.पी	31.03.2025	290998.43
4	एम.पी.लेड	31.03.2025	85740.00
5	एस.डी.आर.एफ	31.03.2025	148391.24
6	एन.आर.एच.एम	31.03.2025	26729.00
7	आर.ए. वाई	31.03.2025	5360.00
8	एस.बी.एम	31.03.2025	268953.00
9	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2025	1919266.87
		कुल जोड	**4187083.31**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/364 दिनांक–31.05.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15/2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, शेष/अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आय

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.13 की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/361 दिनांकः—30.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में ₹13070/— की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/369 दिनांकः—02.06.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15/2025 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 स्वच्छता शुल्क की ₹0.20 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना व संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:—

हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 के उप नियम (3)(ii) के अनुसार पंचायत की गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, साफ—सफाई, **स्वच्छता ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन**, वाहनों की पार्किंग के लिये प्रस्ताव के तहत सभा क्षेत्र में सेवा शुल्क

उदगृहित करने का अधिकार है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय / अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 361 दिनांकः–30.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "9"** पर संलग्न सूचना के अनुसार स्वच्छता शुल्क के रूप में ₹20100 /– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। प्रस्ताव संख्या 12 दिनांकः– 24.01.2023 के तहत निर्णय लिया गया था कि, प्रत्येक यूनिट (घर / दुकान) से ₹50 / 100 प्रति मास ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता शुल्क की वसूली की जाएगी, जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से वसूली करवाई गई। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता शुल्क से संबंधित अभिलेख, यूनिटों की संख्या श्रेणी बार, वसूली साधन, मांग व बकाया इत्यादि का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "9"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष राशि, अथशेष, यूनिटों की संख्या, अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। यह एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है या कोई वितीय अनियमितता पाई जाती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 371 दिनांकः–03.06.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15 / 2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा आंकडों व तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि के अंत में स्वच्छता शुल्क की उक्त राशि वसूली हेतु शेष पाई गई, जिसकी वसूली करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा तथा इससे संबंधित समस्त अभिलेख मांग व संग्रह रजिस्टर, रसीद बुक रजिस्टर व अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त मामले के संबंध में नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित मांग व प्राप्ति रजिस्टर तैयार करके व समस्त आवश्यक अभिलेखों का उचित तरीके से रख–रखाव करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने व सभा निधि में अनियमित जमा करने बारे:—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:—04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070—60—108—01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/361 दिनांक:—30.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत बाघणी द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹3800/— विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु इसमें से राशि ₹2600 को सरकारी कोष में जमा न करवाकर सभा निधि में जमा करवाया गया तथा राशि ₹1200 को बैंक में जमा न करवाकर सीधे तौर पर खर्च किया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राशि ₹200 अंकेक्षण अवधि के अंत में वसूली हेतु शेष थी।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/370 दिनांक:—02.06.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बाघणी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:—15/2025 दिनांक:—04.06.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरान्त सूचित किया गया कि, प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹2600 को सभा निधि में जमा करवाया गया तथा शेष सीधे तौर पर खर्च की गई व वसूली हेतु शेष राशि सहित की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त, सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरान्त सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.53 लाख के स्टॉक का क्रय करना:—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत बाघणी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार ₹52999/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

इस अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/372 दिनांकः–03.06.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15/2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत उतर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2023 के **पैरा संख्या 11** मे दर्ज अंकेक्षणापति के दृष्टिगत, तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दोहराई गई इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुतस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.97 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांकः–02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "8"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹96932/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/373 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15/2025 दिनांकः–04.06. 2025 द्वारा सूचित किया गया कि, उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 अनुदान एस.डी.आर.एफ के अंतर्गत राशि ₹0.65 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय करने बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा मुरम्मत राजकीय प्राथमिक पाठशाला रसां वार्ड 8 के लिये टाईल्स खरीदने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि ₹64780/– का भुगतान किया गया। व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित आपतियां पाई गई हैः–

1.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रों द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है। चयनित मास 11/2024 के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत टेन्डर कॉल करने की प्रकिया को पूर्ण किये

बिना ही निर्माण कार्य के लिये राशि ₹64780 की टाईल्स की खरीद की गई। जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना के दृष्टिगत अनियमित तथा आपतिजनक भी है।

2.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप–समिति गठित की जानी थी, जिसमें कि प्रधान, उप प्रधान, दो वार्ड सदस्य जो ग्राम पंचायत द्वारा नामित किये गये हो व सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, जिसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

3.उक्त क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक की दर संविदा (Rate Contract) अथवा Gem Portel से किया जाना वांछित था तथा यदि उक्त सामग्री हि0 प्र0 सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति उपरान्त पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी।

उपरोक्त के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्र0सं0व अनुदान	वाचर सं. /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं. /दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि (₹)
1.SDRF	108/ 06.11.2024	M/s Jatinder &Co. Nagrota Bagwan	001424/165 .10.2024	Tiles 600*600	50(Bpx) (Inc.GST 18%)	760	38000
	108/ 06.11.2024	M/s Jatinder &Co. Nagrota Bagwan	001425/165 .10.2024	Tiles 600*600 Grout Tiles Cleaner	33(Box) 10 Pkt 10 ltr (Inc.GST 18%)	760 85 85	25080 850 850
					Total		64780

इन अनियमितताओं बारे पूर्ण तथ्यों सहित वस्तुस्थिति अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे सचिव, ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/374 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15/2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि, उक्त भुगतान हेतु टेंडर काल करने की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया व न ही निविदा कमेटी का गठन किया गया। भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹11.65 लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 11/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि, वाउचरों पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1164806.55 का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/379 दिनांकः—04.06.2025 के अंतर्गत सचिव, ग्राम पंचायत बाघणी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—15/2025 दिनांकः—04.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, संयुक्त हस्ताक्षरो से संबंधित अनियमितता की वतर्मान समय से अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "7 व 8"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः—

1.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप—पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी।

2.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के संबंध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/379 दिनांकः– 04.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बाघणी को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15/2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, निर्माण कार्यों से संबंधित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/361 दिनांकः–30.05.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–15/2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	मांग व प्राप्ति रजिस्टर (स्वच्छता शुल्क)	10	33 व 77 (4)

6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
9	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/361 दिनांकः–30.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–15/2025 दिनांकः–04.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

14 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, अवधि 2024–25 के मास 11/2024 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं।

अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

5118-5122 04 AUG 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)118/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बाघणी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-4.1(क)

FINANCIAL POSITION OF GP BHAGNI BLOCK DHARAMSHALA,DISTT KANGRA(HP)-176057 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	545418	345887.00	891305.00	131696.00	759609.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	4768331.31	7160653.55	11928984.86	7741901.55	4187083.31

Note :- It is certified that the Opening Balance of Sabha NIshi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

PRADHAN
GRAM PANCHYAT BAGHNI
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

SECY.

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BAGHNI FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5THSFC	2024-25	1125964.77	468750.00	1594714.77	547300.00	1047414.77
2	VKVNY	2024-25	124986.00	332719.00	457705.00	63475.00	394230.00
3	SDP	2024-25	8044.43	1627733.00	1635777.43	1344779.00	290998.43
4	MPLADS	2024-25	59124.00	40000.00	99124.00	13384.00	85740.00
5	SDRF	2024-25	352620.24	346001.00	698621.24	550230.00	148391.24
6	VMJS	2024-25	200000.00	129132.00	329132.00	329132.00	0.00
7	NRHM	2024-25	26729.00	185.00	26914.00	185.00	26729.00
8	IAY	2024-25	37452.00	0.00	37452.00	32092.00	5360.00
9	SBM	2024-25	251003.00	303250.00	554253.00	285300.00	268953.00
10	15TH FC	2024-25	2582407.87	2311543.00	4893950.87	2974684.00	1919266.87
11	MNREGA	2024-25	0.00	1601340.55	1601340.55	1601340.55	0.00
Total:-			4768331.31	7160653.55	11928984.86	7741901.55	4187083.31

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

PRADHAN
GRAM PANCHYAT BAGHNI
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

SECY.

22

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या "4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघणी विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176057

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत बाघणी के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	20121009803	660001	873908
02	पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50074544691	1123580	1045030
03	वी.के.वी.एन.वाई	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056449787	128689	397933
04	एस.डी.पी / वी.एम.जे.एस.वाई	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056449801	200922.43	283876.43
05	एस .डी.आर.एफ/ एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056449776	354636.24	148391.24
06	एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50078125020	0	40000
07	एन.आर.एच.एम	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50056447021	6114	6114
08	एस.बी.एम गारवेज	के. सी .सी. बैंक योलकेंट	50075027819	234003	251953
09	स्वयं सत्रोत	पी.एन.बैंक सिद्धपुर	4749000100027097	178436	178436
10	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	पी.एन.बैंक योलकेंट	671000100062269	2582407.87	1919266.87
11	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			173	457
			कुल योग	5468962.54	5145365.54

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT BAGHNI

DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

23

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या " 7 ")

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघणी विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.-176057

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत बाघणी में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर / गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 688 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	78670/-	688	50/-	34400	113070	100000	13070

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT BAGHNI

DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

24

परिशिष्ट "5 "(पैरा संख्या " 8 " में संदर्भित)

ग्राम पंचायत बाघणी , विकास खण्ड धर्मशाला, विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त की गई राशी को बैंक/सरकारी कोष मे जमा ना करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	टिप्पणी
1	रिशव कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार	18/04/2024	12/6/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 0865174 Date- 12-06-2024
2	विनोद कुमार पुत्र जोगिन्द्र पाल	21/04/ 2024	4/7/2024	₹ 400.00	₹ 400.00	₹ 0.00	R/N 0865176 Date- 04-07-2024
3	वीरेंद्र कुमार पुत्र विशम्बर दास	12/7/2024	18/07/2024	₹ 200.00	₹ 200.00	₹ 0.00	R/N 0865177 Date- 18-07-2024
4	अतुल कुमार पुत्र किशोरी लाल	30/07/2024	18/08/2024	200	200	0	R/N 0865185 Date- 18-08-2024
5	राकेश कुमार पुत्र सीता राम	27/07/2024	8/8/2024	200	0	200	
6	अनिकेत पुत्र लक्ष्मण दास	28/10/2024	26/11/2024	200	200	0	R/N 0865008 Date- 26-11-2024
7	आकाश कटोच पुत्र तिलक चंद कटोच	6/12/2024	19/12/2024	200	200	0	R/N 0865024 Date- 19-12-2024
8	सुनीत शर्मा पुत्र सतीश शर्मा	28/10/2024	26/12/2024	400	400	0	R/N 0865029 Date- 26-12-2024
9	अमन पुत्र सरवन कुमार	3/11/2024	26/12/2024	400	400	0	R/N 0865030 Date- 26-12-2024
10	अभिनव भरद्वाज पुत्र बरयाम सिंह	22/11/2204	18/01/2025	400	400	0	R/N 0865035 Date- 18-01-2025
11	विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	7/12/2024	28/01/2025	400	400	0	R/N 0865036 Date- 28-01-2025
12	अमित धीमान पुत्र राम कुमार	17/01/2025	1/2/2025	200	200	0	R/N 0865037 Date- 01-02-2025
13	परस गौतम पुत्र संजय कुमार	18/02/2025	6/3/2025	200	200	0	R/N 0865043 Date- 06-03-2025
14	अभुदय पुत्र सुरेश कुमार	18/02/2025	18/03/2025	200	200	0	R/N 0865049 Date- 18-03-2025
	Total			₹ 4,000.00	₹ 3,800.00	₹ 200.00	

नोट:- क्रम संख्या 1 से 4 तक की राशी को बैंक/सरकारी कोष मे जमा नहीं करवाया गया क्रम संख्या 6 से 14 तक की राशी को सरकारी कोष मे जमा नहीं करवाया गया।

PRADHAN
GRAM PANCHYAT BAGHNI
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

SECY.

25

परिशिष्ट -06 (पैरा संख्या "4.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघणी विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.176057

<u>बैंक प्रमाण पत्र</u>

1.दिनांक 01-04-2024 को प्रस्तुत स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़बहियों के (नकद व बैंक)अथशेष निम्न थे :-

क्र०	मद/अनुदान	दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत की गई स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़वहियों अनुसार(नकद व बैंक)अथशेष		
		नकद	बैंक	
1	Own Source	173	545245	
2	5THSFC	0	1125964.77	
3	VKVNY	0	124986	
4	SDP	0	8044.43	
5	MPLADS	0	59124	
6	SDRF	0	352620.24	
7	VMJS	0	200000	
8	NRHM	0	26729	
9	IAY	0	37452	
13	SBM	0	251003	
14	15TH FC	0	2582407.87	
	TOTAL	**173**	**5313576.31**	**5313749.31**

2 दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत संयुक्त/समेकित(Consolidated) ऑनलाइन रोकड़बही के (नकद व बैंक)अथशेष:-

	मद/अनुदान	नकद	बैंक	
1	Own Source/All GIAs	173	6379695.54	**6379868.54**
			अंतर(नकद सहित)	**1066119.23**

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT BAGHNI

DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

26

परिशिष्ट–7 पैरा संख्या "9.1 [illegible]"

ग्राम पंचायत बाघणी विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वो.स./दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1. DEPOSIT	111/06.11.2024	Water Tank 300ltr,Cistern,Wash Basin,Tiles etc (INC. GST 18%)	835/30.08.2024	M/s Dasmesh Trading Co. Yoll Cant	–	–	9270	Quatations ,Stock Entry
2.DEPOSIT	112/06.11.2024	Door back flap etc	932/01.09.2024	M/s Desh Raj Choudhary Sidhbari	1	3700	3700	Quatations
3.15TH FC	P/29/14.11.2024	TMT STEEL (10MM,12)&WIRE etc. (INC. GST 18%)	1275/22.10.2024	M/s Dasmesh Trading Co. Yoll Cant	–	–	14678.00	Quatations
4.15 TH FC	P/31/14.11.2024	Door flap ,Ventilater etc	893/22.10.2024	M/s Desh Raj Choudhary Sidhbari	1	4755	4755	Quatations
5.15 TH FC	P/32/14.11.2024	Door flap ,Ventilater etc	909/22.10.2024	M/s Desh Raj Choudhary Sidhbari	1	4755	4755	Quatations
6.15 TH FC	P/33/14.11.2024	Door flap ,Ventilater etc	828/22.10.2024	M/s Desh Raj Choudhary Sidhbari	1	4755	4755	Quatations
7.15TH FC	P/34/14.11.2024	TMT STEEL (10MM)&WIRE,Carriage etc. (INC. GST 18%)	1276/22.10.2024	M/s Dasmesh Trading Co. Yoll Cant	–	–	6131.00	Quatations
8.15 TH FC	P/35/14.11.2024	Door flap ,Ventilater etc	894/22.10.2024	M/s Desh Raj Choudhary Sidhbari	1	4955	4955	Quatations
						G/Total	52999.00	

नोटः–1.कम संख्या 1 से 8 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया।

2.कम संख्या 1 की स्टॉक प्रविष्टि का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया।

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT BAGHNI

DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

27

परिशिष्ट–"8" पैरा संख्या–" 9.(ii) "

कार्यालय ग्राम पंचायत **बाघणी** विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176057 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 / दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 / दिनांक	सामग्री	मात्रा / प्रति घन फुट	दर	राशि
1	SDRF	122/ 30.11.2024	Santosh Choudhary Roadline	134/ 20.10.2024	Sand	200 CFT	50.47/- GST5%	10599.00
2	SDRF	123/30.11.2024	Santosh Choudhary Roadline	102/ 07.09.2024	Sand	250 CFT	50.47/- GST 5%	23748.00
					Aggregate	250 CFT	40/- GST 5%	
3	15TH Finance	38/ 28.11.2024	Santosh Choudhary Roadline	128 / 19.10.2024	Sand	200 CFT	50.47/- GST 5%	16899.00
					Aggregate	100 CFT	40/- GST 5%	
					Boulder	70 CFT	28.57/- GST 5%	
4	15TH Finance	39/ 28.11.2024	Santosh Choudhary Roadline	131 / 19.10.2024	Sand	100 CFT	50.47/- GST 5%	8239.00
					Aggregate	70 CFT	40/- GST 5%	
5	15TH Finance	44/ 28.11 2024	Santosh Choudhary Roadline	143 / 06.11.2024	Sand	100 CFT	50.47/- GST 5%	13699.00
					Aggregate	200 CFT	40/- GST 5%	
6	MNREGA	NIL / 27.11.2024	Santosh Choudhary Roadline	22 / 28.06.2024	Sand	250 CFT	50.47/- GST 5%	23748.00
					Aggregate	250 CFT	40/- GST 5%	
								96932.00

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा **X** और **W** फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

2. All figures are taken up to two decimal.

3. All payments are inclusive GST @5%

PRADHAN SECY.

GRAM PANCHYAT BAGHNI

DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

28

परिशिष्ट - ९ (पैरा संख्या "7.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघणी विकास खंड धर्मशाला जिला काँगड़ा हि.प्र.-176057

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत बाघणी में वसूली हेतू शेष स्वच्छता कर :-

वितीय वर्ष	यूनिट	यूनिट की संख्या	अथशेष	दर प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	घर	310	0	50/-	186000	186000	170500	15500
	दुकानें / बैंक	30	0	100/-	36000	36000	31800	4200
	होटल	02	0	200/-	4800	4800	4400	400
	कुल योग				226800	226800	206700	20100

PRADHAN SECY.
GRAM PANCHYAT BAGHNI
DEV. BLOCK DHARAMSHALA (H.P.)

29